



स्फूर्ति निदेशालय/Directorate of Sfurti
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi & Village Industries Commission
मूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of MSME, Govt. of India
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle(West), Mumbai-56
दूरभाष /Tel: 022-26713696 फैक्स/Fax: 26713696
email: sfurti.kvic@gmail.com, Website: www.kvic.org.in

संख्या : स्फूर्ति/स्थायी आदेश/2020-2021

दिनांक : 17 अप्रैल, 2020

स्थायी आदेश संख्या: 1765

भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय ने पत्र क्रमांक 1/1/2020/ मिनट्स -केवीआई-1 दिनांक 06 मार्च 2020 के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों के पुनरुथान हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया है।

2. इसके बाद, एमएसएमई मंत्रालय के उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्फूर्ति के तहत प्राप्त प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन और कार्यान्वित किया जाएगा। प्रस्ताव अग्रेषित करते समय, राज्य/ मंडलीय निदेशक/तकनीकी एजेंसियां (टीए) यह सुनिश्चित करेंगी कि उक्त प्रस्ताव संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

3. उक्त दिशानिर्देशों के खंड 4.5 में यह जोर दिया गया है कि नोडल एजेंसी (एनए)/तकनीकी एजेंसी (टीए) (खंड 4.3.2 के तहत) द्वारा पारदर्शी मानदंडों का अनुपालन करते हुए खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा, साख और जमीनी स्तर पर कार्य अनुभव के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का चयन किया जाएगा।

4. स्फूर्ति के तहत क्लस्टर के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयी अभिकरण के चयन में आयोग द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया एवं मानदंड पूर्ववर्ती स्थायी आदेश संख्या 1737 दिनांक 25.05.2015 और स्थायी आदेश संख्या 1764 दिनांक 12.07.2019 के अंतर्गत परिपत्रित किया गया है। यद्यपि सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद स्फूर्ति दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। व्यवसाय करने में आसानी, योजना को सरल, सुगम्य, पारदर्शी, आसानी से निगरानी में सक्षम और डीबीटी अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया, संवीक्षा के स्तरों में कमी लाने आदि के लिए मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया जाए, ताकि क्लस्टर प्रस्ताव में तेजी लाई जा सके। अतः स्फूर्ति के तहत क्लस्टर कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक अनुदेश/ दिशानिर्देशों वाले स्थायी आदेश संख्या 1937 दिनांक 25.05.2015 और स्थायी आदेश संख्या 1764 दिनांक 12.07.2019 का अधिक्रमण करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

चरण – I : क्लस्टर चिन्हित करने की प्रक्रिया :

क) संभावित अभिकरणों से प्रस्ताव मंगवाना :

- i) **वेबसाईट के माध्यम से:** स्फूर्ति निदेशालय, केवीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना के दिशानिर्देश अपलोड करेगा और संभावित पात्र एजेंसियां निर्धारित प्रारूप (टेम्पलेट-I (ए) एवं I (बी)) में आयोग के संबंधित राज्य/मंडलीय कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। निकट भविष्य में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुरू करने पर भी विचार किया गया है। यद्यपि, योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होने तक जारी रहेगी।
- ii) **सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसियों के माध्यम से:** सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसियां स्फूर्ति के तहत क्लस्टर के कार्यान्वयन हेतु संभावित कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान कर आयोग के संबंधित राज्य/ मंडलीय कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

ख) संभावित क्लस्टर सूची तैयार करना :

स्फूर्ति निदेशालय ने पत्रांक स्फूर्ति/न्यू क्लस्टर/1/भाग-5/2014-15 दिनांक 20.08.2014 के अंतर्गत सभी राज्य/मंडलीय निदेशकों को यह सूचित किया है कि वे दिशानिर्देशों के खंड 5.2 के अनुसार राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के परामर्श से संभावित क्लस्टर की राज्य-वार सूची तैयार करें। इसे परिपत्र संख्या स्फूर्ति/न्यू क्लस्टर/12र्णी योजना/ 2015-16 दिनांक 20.04.2015 और 30 अप्रैल, 2015 में भी दोहराया गया है और राज्य/मंडलीय निदेशक को संभावित क्लस्टर की पहचान करने हेतु राज्य/जिलावार प्रोफाइल तैयार करने का सुझाव दिया गया है। क्लस्टर में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों, अन्य पंरपरागत और विविध उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, 100 से अधिक (पूर्वीन्तर/पहाड़ी क्षेत्र हेतु 50) रोजगार सृजन वाले प्रस्ताव, स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग की संभावना और अद्वितीय/निर्यात/पर्यावरण अनुकूल उत्पाद वाले महिला उन्मुखी परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

ग) प्रस्ताव प्रस्तुत करना :

संभावित कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप अर्थात् टेम्पलेट-I (ए) और I (बी) (इस आदेश के साथ संलग्न और केवीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध) में संबंधित राज्य/मंडलीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई भी एजेंसी, स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहती है, तो वे क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु आयोग के अंतर्गत उचित रूप से सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसी (इस आदेश के साथ संलग्न आयोग के तहत सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसी की सूची, वर्तमान अद्यतन सूची आयोग की वेबसाइट पर समय-समय उपलब्ध कारबाई जाएगी) का चयन कर सकती है।

ठीक उसी प्रकार, समकक्ष तकनीकी एजेंसियां भी उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान कर सकती हैं, व्यवहार्य क्लस्टर प्रस्ताव एकत्रित कर सकती हैं और डीपीआर चरण में आवश्यकतानुसार सभी नियमों एवं विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद संबंधित राज्य/मंडलीय कार्यालय को डीपीआर प्रस्तुत कर सकती हैं।

1. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर :

राज्य/मंडलीय कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसियों/तकनीकी एजेंसियों से टेम्पलेट-I (ए) और I (बी) में प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेंगे। इसके बाद, राज्य/मंडलीय निदेशक विधिवत प्रमाणित/वैध टेम्पलेट-II में अपेक्षित जानकारी भर कर आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से प्रस्ताव की अनुशंसा करेंगे। इसके अलावा, निदेशक (स्फूर्ति) को क्लस्टर के प्रस्ताव के मूल्यांकन/प्रमाणित/सत्यापन और अनुशंसा करते समय निम्नलिखित मानदंड, प्रक्रिया और दिशानिर्देश सुनिश्चित किये जाने चाहिए:

ए) कार्यान्वयी अभिकरणों के चयन हेतु मानदंड :

1) केवीआईसी/राज्य केवीआईबी से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थाएं या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थान, राज्य और केंद्र सरकार के अर्ध-सरकारी संस्थान, राज्य एवं केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय संस्थान, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट कार्यान्वयन अभिकरण होंगे।

2) कार्यान्वयन अभिकरण के पास ग्रामीण/खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू करने का उपयुक्त अनुभव और विशेषज्ञता होनी चाहिए तथा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विनिर्माण, उत्पादन एवं बिक्री का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाली एजेंसी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु वास्तविक प्रतिबद्धता के प्रदर्शन और अच्छे रोजगार सृजन /उत्पादों की संभावना एवं क्षमता (जिससे क्लस्टर क्षेत्र में दृश्यमान और वांछनीय प्रभाव पड़ता हो) तथा क्लस्टर विकास कार्यक्रम में कम अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों को भी प्रशिक्षित/ प्रेरित/प्रोत्साहित और विचार किया जा सकता है।

3) खादी क्लस्टर के मामले में, कार्यान्वयन अभिकरण के पास खादी कार्य का गहन अनुभव होना चाहिए और खादी कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने में समग्र रूप से अर्थात् खादी की कताई, बुनाई और विपणन से जुड़ा होना चाहिए और संस्था को वर्तमान कारीगरों के अलावा नियमित क्लस्टर हेतु 500 और प्रमुख क्लस्टर के लिए 500 से अधिक कारीगरों के नामांकन हेतु इच्छुक एवं स्थिति में होना चाहिए।

4) कार्यान्वयन अभिकरण के पास क्षेत्रीय प्रतिष्ठा, अच्छी साख और जमीनी स्तर पर कार्य का अनुभव होना चाहिए।
अतः कार्यान्वयन एजेंसी को ऑडिट आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

5) क्लस्टर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉर्पोरेट इकाइयां सीधे क्लस्टर विशेष एसपीवी बनाकर परियोजनाएं ले सकती हैं। क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता सहित कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वाले संस्थान को कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे मामले जहां निजी क्षेत्र की इकाई कार्यान्वयन अभिकरण है, उनकी हिस्सेदारी कुल इकिवटी के 50% से अधिक नहीं होगी।

6) कार्यान्वयन अभिकरण यूआईएनडीओ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे-ईडीआई अहमदाबाद, निमसे हैदराबाद, सीबीआरटीआई पुणे, सीजीसीआरआई खुर्जा, सीएफटीआरआई मैसूर, आईएचबीटी पालमपुर आदि द्वारा क्लस्टर विकास में कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी।

7) कार्यान्वयन अभिकरण को क्लस्टर क्षेत्र से संबंधित जिले में स्थित और क्लस्टर क्षेत्र में परिचालन हेतु काफी समय से कार्यरत होना चाहिए।

8) कार्यान्वयन अभिकरण के पास विपणन, निर्यात, वित्त, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी, आदि से संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़कर व्यवसाय विकास सेवा (बीडीएस) की सुविधा का अनुभव होना चाहिए।

9) चयनित क्लस्टर में कारीगरों की निम्नलिखित संख्या होगी:

क्लस्टर के प्रकार	कारीगरों की संख्या
ए) नियमित क्लस्टर	500 कारीगर तक *
बी) प्रमुख क्लस्टर	500 कारीगर से अधिक **

** न्यूनतम 803 कारीगर, परंतु इससे अधिक कारीगर हेतु प्रोत्साहित करें।
 ** एनए द्वारा कारीगरों/श्रमिकों कम संख्या वाले क्लस्टर को भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन कारीगरों/श्रमिकों की संख्या 100 (पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50) से कम नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, आनुपातिक जीआईए (अनुदान सहायता) को अनुमोदन प्रदान करते समय एसएससी द्वारा विचार किया जा सकता है।

10) सीएफसी के निर्माण हेतु कार्यान्वयन अभिकरण उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करने हेतु अच्छी वित्तीय स्थिति में होनी चाहिए और क्लस्टर स्वीकृत होने के तुरंत बाद कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा आपना शेयर जमा करना चाहिए। इसकी पुष्टि कम से कम पिछले 3 वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस-शीट्स आदि की जा सकती है। विकल्प के रूप में, कार्यान्वयन एजेंसी से इस बात का उल्लेख करते हेतु एक वचनपत्र लिया जा सकता है कि वे क्लस्टर स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर डीपीआर में दर्शाएं गए आईए शेयर को स्फूर्ति के समर्पित बैंक खाते में स्थानांतरित करेंगे।

11) परियोजना लागत : (नोडल अभिकरण और कार्यान्वयन कार्यान्वयी का शेयर)

नोडल अभिकरण का शेयर	कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) का शेयर
हार्ड इंटरवेंशन का 90%	हार्ड इंटरवेंशन का 10% नगद यदि भूमि पट्टे पर ली गई है, तो यह न्यूनतम 15 वर्ष का होना चाहिए लीज डील के दस्तावेज राजस्व प्राधिकरण से पंजीकृत होने चाहिए।
हार्ड इंटरवेंशन का 95%	पूर्वोत्तर राज्य/जम्मू कश्मीर/पहाड़ी क्षेत्र में हार्ड इंटरवेंशन का 5% नगद

12) पंजीकृत बिक्री या लीज डील (15 वर्ष या इससे अधिक) के अनुसार आईए/एसपीवी के पक्ष में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु सभी प्रकार के भार से मुक्त आवश्यक भूमि की व्यवस्था करना आईए का उत्तरदायित्व होगा। योजना

निधि का उपयोग भूमि खरीद हेतु नहीं किया जाएगा। भूमि लागत को हार्ड इंटरवेंशन की कुल लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

13) विशेष प्रयोजन अभिकरण (एसपीवी)- आईए द्वारा हार्ड इंटरवेंशन के अनुमोदन लेने हेतु शासकीय निकाय/प्रबंधन समिति में कारीगरों के 33% प्रतिनिधित्व के साथ एसपीवी का गठन और पंजीकरण अनिवार्य है। अच्छा होगा कि क्लस्टर के सभी कारीगर एसपीवी के सदस्य हों। एसपीवी का उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के बाद अथवा/ और आईए के बाहर निकलते समय क्लस्टर को विकसित करना और बनाए रखना है। यद्यपि, एसपीवी को कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और क्लस्टर की कार्य समिति में क्लस्टर एसपीवी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रत्येक क्लस्टर हेतु एसपीवी का गठन एवं पंजीकरण निम्नानुसार करना होगा :

- i) सोसाईटी (पंजीकरण) अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाईटी ;
- ii) किसी समुचित विधि के अधीन सहकारी समिति ;
- iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465 (१) के अधीन कोई उत्पादक कंपनी ;
- iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी ;
- v) न्यास ; अथवा
- vi) एसएससी के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य विधिक संस्था ।

13 (ए) विद्यमान खादी और ग्रामोद्योगी (केवीआई) संस्था और अन्य विधिक इकाई को एसपीवी मान लिया जाएगा, यदि इसके संचालक मंडल /प्रबंधन समिति, जिस किसी भी नाम से बुलाया जाता है, में कारीगरों का उचित प्रतिनिधित्व (कम से कम 33%) हो । स्फूर्ति योजना कार्यान्वित करने हेतु ईच्छुक एजेंसियों को आयोग के साथ केवीआई संस्था के रूप में पंजीकरण/सीधी सूची हेतु सुझाव/प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि उन्हें 33% कारीगरों वाली एसपीवी माना जा सके ।

बी) यदि क्लस्टर स्तर पर पंचायती राज संस्था आईए बनने की इच्छुक हैं, तो ये यह सुनिश्चित करते हुए एसपीवी का गठन कर सकते हैं कि एसपीवी के संचालक मंडल में क्लस्टर सूक्ष्म उद्यमियों/ लाभार्थियों का कुल इकिवटी में 33% हिस्सा हो ।

सी) निजी क्षेत्र द्वारा प्रोत्साहित एसपीवी के मामले में, मुख्य निवेशक/निजी साझेदार की हिस्सेदारी कुल इकिवटी का 50% से अधिक नहीं होगी ।

14) आईए हेतु क्लस्टर का आवंटन - एक कार्यान्वयी अभिकरण को सामान्यतः केवल एक ही क्लस्टर आवंटित किया जाएगा (जब तक कि वह पूरे राज्य में कार्य करने वाली एजेंसी न हो)। यद्यपि, यदि आईए और अधिक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव देती है, तो केवीआईसी के राज्य/मंडलीय निवेशक अतिरिक्त क्लस्टर (क्लस्टरो) स्थापित करने हेतु आईए की क्षमता का उचित मूल्यांकन करेंगे ।

15) पूरे देश में क्लस्टरो का भौगोलिक संवितरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू व कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में कम से कम 10% । लक्षित (एस्प्रेशनल) जिलों के क्लस्टरो, महिला आधारित क्लस्टरो (जिसमें 60% कारीगर महिला/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक हों) को प्राथमिकता दी जाएगी ।

16) सीएफसी की देखरेख हेतु आईए कार्य समिति का गठन करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्फूर्ति के तहत अनुदान से निर्मित सुविधाएं और अधोसंरचना स्थायी हों तथा उत्पादन एवं विपणन में सुधार के लिए कारीगरों के लाभ का प्रबंध हो।

17) कार्यान्वयी अभिकरण प्रत्येक क्लस्टर हेतु कार्यकारी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. कार्यान्वयी अभिकरण का मुख्य अधिकारी – संयोजक
- ii. क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि
- iii. वार्षिक रोटेशन के आधार पर आईए (न्यूनतम एक महिला सहित) द्वारा नामित तीन कारीगर, पुनः नामांकन की 5 वर्ष में अनुमति नहीं होगी।
- iv. नोडल एजेंसी का प्रतिनिधि
- v. संबंधित क्लस्टर/प्रतिनिधि के एसपीवी के मुख्य कार्यकारी
- vi. महाप्रबंधक, डीआईसी अथवा उनके प्रतिनिधि
- vii. नामित तकनीकी एजेंसी के प्रतिनिधि

18) कार्यान्वयन अभिकरण विभिन्न क्लस्टर हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और परियोजना के कार्यान्वयन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व और एसपीवी, पीआरआई, पारंपरिक उद्योग उद्यम, सहायक सेवा संस्थान, बैंक आदि के प्रतिनिधित्व के साथ क्लस्टर सलाहकार समूह (सीएजी) का गठन करेगी।

19) जिन खादी/ग्रामोद्योगी संस्थाओं/एनजीओ ने स्फूर्ति/केआरडीपी के अधीन पहले ही क्लस्टर कार्यक्रम का लाभ ले लिया है, वे भी केवल नये कारीगरों/स्थान के साथ स्फूर्ति कार्यक्रम के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र होंगी। राज्य/मंडलीय निदेशकों को नये स्थान/कारीगर/गतिविधि के साथ अतिरिक्त क्लस्टर स्थापित करने वाली ऐसी संस्थाओं की क्षमता का मूल्यांकन करना होगा तथा कार्यान्वयन/कार्यान्वित एवं प्रस्तावित के तहत क्लस्टर/कार्यक्रम की गतिविधि के अभिसरण (कनवर्ज) की संभावना को भी सुनिश्चित करना होगा। यदि आवश्यक हो तो पिछले कार्यक्रम/योजना में शामिल/शुरू की गई गतिविधियों को छोड़ा जा सकता है/प्रतिस्थापित किया जा सकता है और नए आर्तोरक्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई गतिविधि/घटक दो बार (डबल फंडिंग) से वित्त पोषित न हो।

आवेदन करते समय आईए से एक वचन-पत्र लेना चाहिए कि आईए ने किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार से इस क्लस्टर हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है और यह डीपीआर का पार्ट होना चाहिए।

बी) राज्य/मंडलीय कार्यालय को भौतिक सत्यापन करवाकर टेम्पलेट-I (ए) और I (बी) में उपलब्ध सूचना /डाटा को प्रमाणित और सत्यापित करना चाहिए तथा राज्य/मंडलीय निदेशक सहित आंचलिक उप-मुख्य अधिकारी द्वारा विधिवत अनुशंसित निर्धारित प्रपत्र अर्थात् टेम्पलेट-II में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

i) आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्तुति पर, राज्य/मंडलीय निदेशक को अधिकृत किया गया है कि वे केवीआईसी द्वारा सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसियों को अविलंब डीपीआर तैयार करने का कार्य सुपुर्द करें (तकनीकी एजेंसी

की सूची आयोग की वेबसाईट और अनुलम्नक-I के रूप में इस स्थाई आदेश के साथ संलग्न है और संशोधित सूची हेतु आयोग की वेबसाईट के स्फूर्ति लिंक को समय-समय पर देखा जा सकता है)

ii) तकनीकी अभिकरण से 30 से 35 दिन में डीपीआर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। संबंधित राज्य / मंडलीय निदेशक समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि संबन्धित आईए कार्य पूरा करने हेतु तकनीकी एजेंसी को सहायता प्रदान कर रही है।

iii) केंद्रीय कार्यालय से प्रस्ताव की अनुशंसा:

तकनीकी अभिकरण से डीपीआर प्राप्त होने पर, राज्य/मंडलीय कार्यालय निम्नलिखित को सुनिश्चित करते हुए उसे एक सप्ताह के भीतर स्फूर्ति निदेशालय को अग्रेषित करेगा:-

ए) राज्य/मंडलीय निदेशक को डीपीआर चरण में प्रस्ताव हेतु यथा अपेक्षित सभी नियमों व विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गंभीरता पूर्वक कार्य करना होगा और पीएससी/एसएससी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पर स्पष्ट अनुशंसा करनी होगी।

बी) मानक टेम्पलेट के अनुसार डीपीआर (भाग-I एवं II) जैसा कि लागत अनुमान, समय-सीमा आदि के साथ इंटरवेशन के विशेष विवरण के साथ योजना के अधीन उपलब्ध कराया गया है।

सी) निर्धारित प्रारूप में आधार नंबर/वोटर आईडी नंबर/बैंक खाता सहित कारीगरों की सूची।

डी) आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत अनुशंसित टेम्पलेट-I (ए) और I (बी) तथा टेम्पलेट-II।

ई) आयोग के पदाधिकारियों की भौतिक सत्यापन/तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट।

एफ) आयोग के पैनल अधिवक्ता की राय सहित आईए के नाम पर राजस्व अधिकारी से विधिवत पंजीकृत भूमि दस्तावेज़/लीज डीड दस्तावेज़ (15 वर्ष अथवा उससे अधिक) की प्रति।

जी) आयोग के पैनल अधिवक्ता की राय के साथ संचालक मंडल /प्रबंधन समिति में 33 प्रतिशत कारीगरों के साथ परियोजना विशेष एसपीवी हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र, नियमावली की प्रति। एसपीवी की मॉडल नियमावली को आयोग की वेबसाईट के स्फूर्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

एच) हितधारक अनुबंध तथा आईए एवं राज्य कार्यालय केवीआईसी, आईए एवं बैंक, आईए एवं सीडीए के बीच अन्य अनुबंध के निष्पादन की प्रति। मॉडल अनुबंध को आयोग की वेबसाईट के स्फूर्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

आई) आईए से 10%/5% (एनईआर एवं पहाड़ी क्षेत्र) आईए शेयर का शपथपत्र एवं पुष्टि।

जे) आईए से यह शपथपत्र कि आईए ने किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसी से ऐसे कलस्टर हेतु कोई वित्तीय सहायता का लाभ नहीं लिया है।

2. केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर :

स्फूर्ति निदेशालय कलस्टर प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु निम्नलिखित सदस्यों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्क्रीनिंग समिति के समक्ष डीपीआर प्रस्तुत करेगा:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	अध्यक्षः
2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्यः
3. निदेशक (विपणन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्यः
4. मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई/ एसबीआई के प्रतिनिधि,	सदस्यः
5. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड/ नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्यः
6. दो तकनीकी एजेंसियों के प्रतिनिधि	सदस्यः
7. कार्यान्वयन एजेंसी का प्रतिनिधि	सदस्यः
8. निदेशक (स्फूर्ति), खादी और ग्रामोद्योग आयोग	संयोजक/सदस्यः

- i) पीएससी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य/मंडलीय निदेशक की संस्तुति तथा तकनीकी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर योजना संचालन समिति (एसएससी) के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सिफारिश करेगी !
- ii) डीपीआर में कारीगरों की आय, जीवनयापन (दिनों की संख्या/कार्य घंटों की संख्या) पर मूल जानकारी सहित प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएं व्यापक तौर पर शामिल की जनी चाहिए। डीपीआर में निम्नलिखित सांकेतिक मुख्य खंड /अध्याय शामिल होने चाहिए (अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न)

चरण – III: पीएससी/एसएससी से अनुमोदनः

- i) पीएससी/एसएससी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, निदेशक (स्फूर्ति) उसकी जानकारी राज्य/मंडलीय निदेशक को देंगे, जिसके बाद राज्य एवं मंडलीय निदेशक आईए/तकनीकी अभिकरण को समर्पित बैंक खाते में आईए शेयर जमा करने, कलस्टर कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना, कार्यकारी समिति के गठन, सीडीए की नियुक्ति करने हेतु अनुदेश देंगे। राज्य/मंडलीय निदेशक को प्रस्तावित सीएफसी स्थल का दौरा करना चाहिए और एसपीवी सदस्यों एवं सूचीबद्ध सभी कारीगरों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित कर स्वीकृत परियोजना एवं उनकी भूमिका, अधिकार आदि के बारे में स्थानीय भाषा में बताना चाहिए।

चरण – IV: कलस्टर को अंतिम अनुमोदन प्रदान करना :

पीएससी/आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डीपीआर निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के आधार पर अंतिम अनुमोदन हेतु योजना संचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा :

- i. कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने के साथ ही विशेष प्रयोजन अभिकरण (एसपीवी) का गठन तथा पंजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य आवश्यकता है;
- ii. लागत अनुमान एवं समय-सीमा सहित इंटर्वेंशन के विशेष विवरण और खंडों/अध्यायों का उल्लेख करते हुए मानक टेम्पलेट के अनुसार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। (अनुलग्नक –III)
- iii. कार्यान्वयन एजेंसी तथा सदस्यों के बीच हितधारक समझौता तथा अन्य संबंधित समझौतों का निष्पादन करना; तथा
- iv. कार्यान्वयन एजेंसी/एसपीवी के नाम पर पंजीकृत बिक्री या लीज डीड के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था करना।
- v. स्फूर्ति हेतु समर्पित बैंक खाता खोलना और 10%/5% (एनईआर/पहाड़ी क्षेत्र) कार्यान्वयन एजेंसी/एसपीवी शेयर की उपलब्धता की पुष्टि करना।

चरण – V: राज्य सरकार के उद्योग विभाग को कलस्टर स्थापित करने हेतु सूचित करना :

निदेशक (स्फूर्ति) से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत, राज्य/मंडलीय निदेशक को 15 दिनों के भीतर इनपुट प्रदान करने, यदि कोई है, हेतु अनुरोध के साथ संबंधित राज्य सरकार के उद्योग आयुक्त/निदेशक, उद्योग को कलस्टर स्थापित करने के संबंध में सूचित करना होगा और किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि प्रस्ताव हेतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यदि राज्य सरकार से कोई इनपुट अथवा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसे सात दिनों के भीतर आगे की कार्रवाई हेतु निदेशक (स्फूर्ति) को सूचित किया जाए।

चरण – VI निधि जारी करना:

एसएससी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, कार्यान्वयन हेतु राज्य/मंडलीय कार्यालयों के माध्यम से निधि की पहली किस्त जारी की जाएगी। राज्य/मंडलीय निदेशक को कलस्टर के समर्पित बैंक खाते में तीन दिनों के भीतर पहली किस्त जारी करनी होगी और इसके बाद कलस्टर गतिविधि हेतु समर्पित बैंक खाते से आईए, टीए और कार्यकारी समिति आदि की अनुशंसा से निधि जारी की जाएगी।

गतिविधियां पूरा करने हेतु फ्लोचार्ट एवं समय-सीमा :

प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंगवाने से लेकर कलस्टर को निधियाँ जारी करने तक सम्पूर्ण चरणों/प्रक्रियाओं हेतु प्रवाह चार्ट (फ्लो चार्ट) अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न किया गया है और गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा की जानकारी भी इसके साथ सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न की गई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/मंडलीय निदेशक भारत सरकार, एमएएमई मंत्रालय के पत्रांक: 1/1/2020/मिनट्स-केवीआई-1 दिनांक 06 मार्च, 2020 और परिपत्र संख्या: 4/67/2016-केवीआई-1 दिनांक 06.07.2016 के अंतर्गत निर्धारित स्फूर्ति योजना के परिचालन दिशानिर्देशों की विषय-वस्तु तथा समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। उक्त पत्राचार भी इस स्थायी आदेश का भाग होगा।

प्रीता वर्मा
Preeta Verma

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पुष्टि कार्यकारी अधिकारी /Deputy Executive Officer
खादी और ग्रामोद्योग आयोग /Khadi & Village Industries Commission
मूल.प.उ. मंत्रालय, भारत सरकार /Ministry of MSME, Govt. of India
3, इला रोड विले पार्ले (ए.) /3, Ilia Road, Virle Parle (W),
मुंबई-400 056 / Mumbai-400 056.

संलग्नक :

- i) टेम्पलेट-I (ए) और I (बी)
- ii) टेम्पलेट-II
- iii) पैनल में शामिल एजेंसियों की सूची (अनुलग्नक-I)
- iv) चेक लिस्ट (अनुलग्नक-II)
- v) डीपीआर के खंडों/अध्याय को दर्शाने वाली सूची (अनुलग्नक-III)
- vi) शामिल चरणों एवं प्रक्रियाओं का फ्लो चार्ट (अनुलग्नक-IV)
- vii) गतिविधियों को पूरा करने हेतु समय सीमा (अनुलग्नक-V)

सेवा में,

1. आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2. सभी राज्य/मंडलीय निदेशक/प्रभारी , खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।
3. सभी तकनीकी अभिकरण (सूची के अनुसार) ।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्याधिकारी, केवीआईसी, मुंबई ।
2. वित्तीय सलाहकार के विशेष कार्याधिकारी , केवीआईसी, मुंबई ।
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई ।
4. सभी निदेशालय प्रमुख, केवीआईसी, मुंबई ।
5. निदेशक (प्रचार), केवीआईसी, मुंबई को जागृति के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु ।
6. शिकायत अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई ।
7. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

टेम्पलेट - I (ए)

(स्फूर्ति क्लस्टर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालय को कार्यान्वयी
एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मूल जानकारी)

1.	क्लस्टर को श्रेणी		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		नियमित	<input type="checkbox"/>	प्रमुख	
2.	क्लस्टर का नाम							
3.	क्लस्टर का स्थान		राज्य जिला ब्लॉक ग्राम पिन सर्वेक्षण नंबर					
4.	उद्याग		<input type="checkbox"/> खादी <input type="checkbox"/> ग्रामोद्योग (उल्लेख करें)					
5.	वर्तमान उत्पाद पाठफोलिया							
6.	डाक पत के साथ कायान्वयी एजेंसी का नाम							
7.	परियोजना का उद्देश्य							
8.	चिन्हित मुख्य अंतर							
9.	क्लस्टर में शामिल किए जाने वाला क्षेत्र							
	i. शामिल किए जाने वाले गाँव ii. गाँव का नाम व उपलब्ध कारीगर							
क्रं. सं.	गाँव का नाम	उपलब्ध कारीगर						
		एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल	महिला
1								
2								
3								
4								
5								
	कुल							

iii. (अनुलग्नक विवरण तालिका के रूप में संलग्न करें):

क्रं. स.	कारीगर का नाम	संपर्क नंबर	आधार कार्ड/वोटर आईडी नंबर	कौशल	बैंक खाते का नंबर (यदि हो)	जीवन यापन का स्तर	वर्तमान रोजगार (माह में कार्य समय/दिनों की संख्या)	कारीगरों की औसत आय (प्रति माह)
1								
2								

10.	<p>निम्नलिखित दस्तवेज संबंधी विवरण (केवल वर्तमान कारीगर)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. बैंक पासबुक ii. पहचान पत्र iii. स्वास्थ्य बीमा iv. जनश्री बीमा योजना v. पेंशन कवरेज vi. जेबीसीआरवाई के अधीन बच्चों के लिए प्राप्त शैक्षणिक लाभ 	<table> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> <tr> <td>हाँ</td><td>नहीं</td></tr> </table>	हाँ	नहीं										
हाँ	नहीं													
हाँ	नहीं													
हाँ	नहीं													
हाँ	नहीं													
हाँ	नहीं													
हाँ	नहीं													
11.	<p>क्या क्लस्टर विद्यमान/कार्यशील अथवा नया है ? विवरण दें : क्लस्टर की वर्तमान गतिविधि</p> <p>ए. (खादी संस्था के मामले में)</p> <p>कताई कार्य :</p> <p>बुनाई कार्य :</p> <p>प्रोसेसिंग कार्य :</p> <p>उत्पाद आदि :</p> <p>बी. (ग्रामोद्योगी संस्था के मामले में)</p> <p>प्रोसेसिंग कार्य :</p> <p>उत्पाद आदि :</p>													
12.	क्लस्टर में सहभागिता हेतु इच्छुक अन्य सहायक संस्था का नाम ; (केवल खादी संस्था हेतु)													

क्रं. स.	आईए का नाम व पता	आयोग/बोर्ड से पंजीकृत	संपर्क नंबर	ई-मेल
1		हाँ/नहीं		
2		हाँ/नहीं		
3		हा/नहीं		

(सभी संबद्ध संस्थाएं टेम्पलेट -I (बी) के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करें)

13.	प्रस्तावित इंटरवेशन				
		ए) हार्ड इंटरवेशन (नया)			
	हार्ड इंटरवेशन	आधारभूत सुविधा सीएफसी/आरएम बी विपणन संरचना बी) चरखा/करघा/औज़ार के प्रतिस्थापन/उन्नयन चरखा/करघा/औज़ार र के प्रतिस्थापन/उन्नयन सी) अन्य	निर्मित क्षेत्र/निर्माण किये जाने वाले सीएफसी	मशीनरी/ उपकरण	लागत (₹.)
	सॉफ्ट इंटरवेशन	इंटरवेशन	प्रस्तावित गतिविधि	प्रशिक्षण दिये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या	लागत (₹.)
		ए) कौशल प्रशिक्षण			
		बी) क्षमता निर्माण			
		सी) विपणन संवर्धन			
		डी) अन्य			
14.	कुल परियोजना लागत (₹.)				
15.	विस्तृत परियोजना लागत (₹.) (कोर स्फूर्ति)				
16.	निधि स्रोत/वित्त के साधन (₹.)				
17.	परियोजना के चरण				

18.	परियोजना कार्यान्वयन फ्रेमवर्क /प्रस्तावित एसपीवी संरचना	<input type="checkbox"/> क्या आईए को एसपीवी माना जाए (विवरण दें) (आयोग की खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं हेतु) <input type="checkbox"/> क्या एसपीवी का अलग से पंजीकरण हो रहा है, यदि हाँ, तो प्रस्तावित एसपीवी संरचना सहित विवरण दें:	
19.	कार्यशील पूँजी की गतिशीलता : दिशानिर्देशों के अनुसार कच्चे माल की खरीद में 20% हार्ड इंटरवेंशन लागत का उपयोग किया जाएगा। तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर संबन्धित गतिविधियों के आधार पर कार्यशील पूँजी का अनुमान		
20.	विद्यमान क्लस्टर का विवरण एवं आईए के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधा और आईए के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ ए. आईए के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना i. भूमि क्षेत्र (वर्ग फीट) ii. निर्माण क्षेत्र (वर्ग फीट) iii. मशीनरी iv. कारीगरों के पास उपलब्ध औजार (गतिविधि के आधार पर अंतर हो सकता है) v. चरखे एनएमसी vi. करघे परंपरागत vii. अन्य उन्नत परंपरागत बी. क्लस्टर क्षेत्र में कच्चे माल के स्रोत		
क्रं.स.	कच्चे माल का विवरण	स्रोत संस्था/कारीगर /स्थानीय	वार्षिक मात्रा (लगभग)
1.			
2.			
3.			
4.			

21.	क्लस्टर में निर्मित किये जाने वाले “उत्पाद” और बिक्री मूल्य एवं मार्जिन आदि का अनुमान				
क्रं	उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों का नाम	मात्रा	समग्र उत्पादन लागत (₹.)	प्रस्तावित बिक्री मूल्य	मासिक आधार पर मार्जिन/लाभ
1.					
2.					
3.					
4.					
22.	क्लस्टर अवधि समाप्त होने के बाद कारीगरों की मजदूरी का अनुमान				
23.	ए) फॉरवर्ड -बैकवर्ड लिंकेज की उपलब्धता (लक्षित लक्ष्यांक सहित) बी) कन्वर्जेंस की योजना/पहल सी) बढ़ी हुई परियोजना लागत और वित्त के साधन				
24.	मुख्य प्रभाव 1. 2. 3. 4.				
25	कार्यान्वयी एजेंसी का प्रस्ताव : (टेम्पलेट-I (ए) एवं I (बी) में यथा प्रस्तुत सभी लक्ष्यांक सहित क्लस्टर कार्य के अनुमोदन वाले विशिष्ट प्रस्ताव संलग्न करें)				

कोषाध्यक्ष (आईए)

मंत्री (आईए)

अध्यक्ष (आईए)

निम्नानुसार सहायक दस्तावेज संलग्न किया जाए :

1. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं इसकी वैधता।
2. स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु आईए/एनजीओ का प्रस्ताव।
3. आईए के स्वामित्व वाले भूमि का विवरण एवं भवन निर्माण, यदि कोई हो।
4. एसपीवी पंजीकरण का विवरण, यदि पंजीकृत है।
5. विगत तीन वर्षों के तुलनपत्र एवं लेखा विवरण और/अथवा आईए शेयर के अंशदान हेतु शपथपत्र।
6. कारीगरों की सूची (निर्धारित प्रपत्र में गाँव-वार)।

टेम्पलेट – I (बी)
कार्यान्वयी एजेंसी (आईए) की प्रोफाईल

I	संस्थागत संरचना/पंजीकरण विवरण						
1	विधिक स्थिति	<input type="checkbox"/> केंद्रीय/राज्य सरकार की संस्था <input type="checkbox"/> सोसाईटी (सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत) <input type="checkbox"/> सहकारी समिति (उपयुक्त स्थिति के तहत) <input type="checkbox"/> न्यास के रूप में पंजीकृत <input type="checkbox"/> मालिकाना फर्म /साझेदारी <input type="checkbox"/> कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत <input type="checkbox"/> प्राइवेट लिमिटेड कंपनी <input type="checkbox"/> पब्लिक लिमिटेड कंपनी <input type="checkbox"/> सेक्सन 8 के तहत कंपनी <input type="checkbox"/> सेक्सन 465 (1) के तहत कंपनी <input type="checkbox"/> अन्य (उल्लेख करें)					
2	शामिल/पंजीकरण की तिथि	प्रमाणपत्र संलग्न करें					
3	पंजीकृत डाक पता						
4	कार्यालय डाक पता/स्थान						
5	आयोग से संबद्ध	हाँ/नहीं यदि हाँ, प्रमाणपत्र संख्या दें _____ प्रमाणपत्र की वैधता _____					
II	शासन संरचना						
6	कार्यकारी बोर्ड/न्यास/ संचालक मंडल/प्रबंधन समिति की संरचना और सदस्यों की पृष्ठभूमि	क्रं .	सदस्य का नाम	पद	पृष्ठभूमि/ प्रोफाईल	संपर्क नंबर	ई-मेल
		1.					
	2.						

उपलब्ध नहीं है						
7	यदि आईए कंपनी एकट के तहत पंजीकृत है, तो शेयर होलिंग पैटर्न उपलब्ध कराएँ	क्रं.स.	सदस्य का नाम	पृष्ठभूमि/प्रोफाईल	शेयर होलिंग (%)	
उपलब्ध नहीं है						
III	परिचालन प्रोफाईल					
8	संगठन के प्रमुख उद्देश्य, विजन, मिशन					
9	परिचालन के प्रमुख क्षेत्र		1. 2. 3.			
10	आईए द्वारा चलाई जा रही प्रमुख परियोजनाओं/ गतिविधियों की जानकारी दें -परियोजना क्षेत्र, आकार और अवधि सहित संक्षिप्त विवरण (प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव का उल्लेख करें)					
11	एसोसिएशन की प्रकृति संबंधी विवरण सहित परियोजना से जुड़े प्रमुख क्लाइंट / डोनर का उल्लेख करें					
12	प्रमुख सहभागी/सहयोगी, यदि कोई हो, तो उल्लेख करें					
IV	प्रबंधन प्रोफाईल					
13	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संक्षिप्त विवरण सहित प्रमुख कार्मिक की पृष्ठभूमि (व्यावसायिक व अन्य)					

V	वित्तीय स्थिति		
14	संगठन की मुख्य वित्तीय स्थिति (विगत 3 वर्षों के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण की प्रति उपलब्ध कराएँ)	चल संपत्ति वर्तमान संपत्ति वर्तमान देयता विगत 3 वर्षों के राजस्व रुद्धान विगत 3 वर्षों का लाभ/ हानि आयोग/बोर्ड की संस्था के मामले में उपयोगित आईसीक विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोगित आईसीक की राशि कोई अन्य	हाँ नहीं
VI	बैंक खाते का विवरण		
15	बैंक का नाम		
16	शाखा का नाम		
17	खाता संख्या		
18	आईएफएससी कोड		
VII	संपर्क विवरण		
19	संपर्क व्यक्ति का नाम		
20	संपर्क व्यक्ति का पदनाम		
21	पत्राचार का पता		
22	संपर्क संख्या		
23	ई-मेल		
	1. पैन/टैन 2. जीएसटी नंबर 3. दर्पण नंबर 4. उद्योग आधार/एमएसएमई पंजीकरण संख्या		

कोषाध्यक्ष (आईए)

मंत्री (आईए)

अध्यक्ष (आईए)

टेम्पलेट - II

(राज्य/मंडलीय निदेशक और आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर स्फूर्ति योजना के तहत
खादी/ग्रामोद्योग क्लस्टर का अनुशंसा प्रपत्र)

1) राज्य/मंडलीय कार्यालय का नाम व पता

2) क्लस्टर के प्रकार (कृपया निशान लगाएँ): खादी ग्रामोद्योग

3) क्लस्टर का नाम :.....

(ग्राम/जिला का नाम + उत्पाद + क्लस्टर, उदाहरण के लिए रोहतास कुम्हारी क्लस्टर)

4) क्लस्टर स्थान :

क) गाँव का नाम :.....

ख) सीएफसी निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की सर्वेक्षण संख्या :.....

ग) ब्लॉक का नाम :.....

घ) जिले का नाम :.....

5) क्लस्टर में शामिल किए जाने वाला क्षेत्र :

क) शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या :.....

ख) गाँव का नाम व उपलब्ध कारीगर :

क्रं स.	गाँव का नाम	उपलब्ध कारीगर						
		एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल	पुरुष
1								
2								
3								
4								
5								
	कुल							

भौतिक रूप से सत्यापित कारीगर : सभी कारीगर/मात्र 10% कारीगर

ए) (निम्नलिखित तालिका के रूप में अनुलग्नक में विवरण संलग्न करें)

क्रं.स	कारीगर का नाम	संपर्क संख्या	आधार/ बोटर आईडी/बैंक खाता संख्या	कौशल	जीवन यापन का स्तर	मौजूदा रोजगार (माह में कार्य समय/दिनों की संख्या)	कारीगरों की औसत आय (प्रति माह)
1							
2							

क्या कारीगरों हेतु निम्नलिखित शामिल किया गया है :
 (केवल ब्राउन फ़िल्ड क्लस्टर्स अर्थात् जारी क्लस्टर गतिविधि के लिए)

i.	बैंक पासबुक	हाँ / नहीं
ii.	आधार कार्ड	हाँ / नहीं
iii.	स्वास्थ्य बीमा	हाँ / नहीं
iv.	जन श्री बीमा योजना	हाँ / नहीं
v.	पेशन कवरेज	हाँ / नहीं
vii.	कारीगरों के बच्चों हेतु शैक्षणिक लाभ	हाँ / नहीं
viii.	संगठन/एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र	हाँ / नहीं

(राज्य/मंडलीय निदेशक उपरोक्त बिंदु 5 और 6 के संदर्भ में अनुलग्नक में प्रस्तुत कारीगर विवरण का यादृच्छिक (रेंडम) सत्यापन कर सकते हैं)

6) क्या क्लस्टर क्या क्लस्टर अस्तित्व में/ क्रियाशील है? विवरण दें :

7) क्लस्टर की वर्तमान गतिविधि (खादी और ग्रामोद्योग संस्था के मामले में):
 (गतिविधि के आधार पर अंतर हो सकता है)

कताई कार्य :
 बुनाई कार्य :
 प्रोसेसिंग कार्य :
 उत्पाद आदि :

(ग्रामोद्योगी संस्था के मामले में समकक्ष विद्यमान गतिविधियों का उल्लेख करें)

8) स्फूर्ति के तहत कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित गतिविधि :

9) कार्यान्वयी एजेंसी का विवरण :

ए) पूरा पता

.....जिला.....

.....पिन कोड..... फोन फैक्स

.....ई-मेल आई डी:

बी) आयोग/बोर्ड से संबद्ध : हाँ / नहीं (खादी और ग्रामोद्योगी संस्था के मामले में प्रमाण पत्र संख्या व उसकी वैधता)

सी) यदि नहीं, तो क्या आयोग के मानदंडों के अनुसार पंजीकरण कराने हेतु तैयार है

डी) कारीगरों सहित प्रबंधन समिति सदस्यों का विवरण :

क्रं .स.	नाम	पदनाम	संपर्क नंबर	ई-मेल
1				
2				
3				

(उपरोक्त जानकारी की प्रामाणिकता खादी संस्थाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि आईए को मानित (डीम्ड) एसपीवी के रूप में घोषित किया जा सके। कृपया 4.6.1 के अंतर्गत दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें)

e) बैंक खाते का विवरण:

- i) बैंक का नाम
- ii) खाता संख्या.....

f) जीएसटी संख्या:

g) दर्पण संख्या:

h) एमएसएमई पंजीकरण संख्या:

- i) प्राप्त आईसेक: हाँ/नहीं (खादी संस्था के मामले में)
- j) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों अर्थात् 20, 20 एवं 20.....में प्राप्त आईसेक राशि :
k) विगत तीन वर्षों अर्थात् 20..... 20..... एवं 20..... में उत्पादन एवं बिक्री के आवंटन एवं कार्यनिष्पादन :

10) आईए की वित्तीय स्थिति : (31 मार्च, 20--)

क) चल संपत्ति :

ख) वर्तमान स्थिति

ग) वर्तमान देयता

घ) अन्य वित्तीय मामले :

ङ) वित्तीय स्थिति (विगत तीन वर्षों के लाभ/हानि):

च) केवीआई अथवा इसके समान कार्यक्रम में अनुभव :..... वर्ष

छ) संस्था की श्रेणी (यदि खादी के अंतर्गत प्रमाणित हो):.....

11) क्लस्टर में सहभागिता हेतु इच्छुक अन्य संबद्ध संस्थाओं के नाम :

क्रं .स.	संबद्ध आईए का नाम व पता	आयोग/बोर्ड से पंजीकृत	संपर्क नंबर	ई-मेल आईडी
1		हाँ/नहीं		
2		हाँ/नहीं		
3		हाँ/नहीं		

(सभी संबद्ध संस्थाओं को क्रमांक 1 से 11 के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे संलग्न करना चाहिए। राज्य/मंडलीय निदेशक उन जानकारियों को प्रमाणित कर अनुशंसा करेंगे।)

12) क्लस्टर क्षेत्र में कच्चे माल के स्रोत :

क्रं.स.	कच्चा माल का नाम	उपलब्धता / स्रोत	मात्रा (लगभग)
1.			
2.			
3.			
4.			

13) क्लस्टर के तहत निर्माण किये जाने वाले “उत्पाद” और बिक्री मूल्य एवं मार्जिन के अनुमान की जानकारी दें :

क्र.स	उत्पादित किये जाने वाले उत्पाद का नाम	मात्रा	समग्र उत्पादन (₹.)	प्रस्तावित बिक्री केंद्र (₹.)	मासिक आधार पर मार्जिन/लाभ
1.					
2.					
3.					
4.					

14) क्लस्टर में उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली वर्तमान सुविधा/आधारभूत संरचना (यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दें)

ए) भूमि क्षेत्रफल (वर्ग फीट) उपलब्ध -हाँ/नहीं

बी) निर्माण क्षेत्रफल (वर्ग फीट) उपलब्ध -हाँ/नहीं

सी) मशीनरी (खादी/ग्रा.).....उपलब्ध -हाँ/नहीं

डी) उपकरण (खादी/ग्रा.) कारीगरों के पास उपलब्ध (विवरण दें)

- ई) सड़क की सुविधा
 एफ) संबंधित उद्योग के मामले में जल की उपलब्धता
 जी) विद्युत कनेक्सन (यदि विद्युत उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी पॉइंट, जहां उपलब्ध है)

(प्रस्ताव की अनुशंसा हेतु राज्य/मंडलीय निदेशक स्तर पर जानकारी की वैधता आवश्यक है)

15) मशीनरी व औजार, उपकरण आदि का विवरण देते हुए सीएफसी का डिजाईन :

क्रं .स.	उपकरण व मशीनरी का नाम	आवश्यक मात्रा	लागत (रु.)	प्रतिस्थापन की समय सीमा	टिप्पणी
1.					
2.					
3.					

16) चरखा (एनएमसी) एवं लूम (उन्नत/परंपरागत) का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त आवश्यकता

क्रं.स.	उपकरण/औजार का नाम	प्रस्तावित प्रतिस्थापन (संख्या)	लागत (रु.)	समय-सीमा (वर्ष-वार)
1.				
2.				
3.				

17) डिजाईन विकास के तहत किए जाने वाले कार्य :

क्रं.स.	गतिविधि/इनपुट का नाम	उपकरण, औजार व उपकरण, विशेषज्ञता का विवरण	आवश्यक निधि (लागत) (रु.)	अपेक्षित आउटपुट	समय-सीमा (वर्ष-वार)
1.					
2.					
3.					

क्षमता निर्माण के उपाय (तालिका के अनुसार सभी प्रकार के प्रशिक्षण/अवधि/लागत का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट/घटकों का उल्लेख करें)

क्र.स.	कौशल/प्रबंधकीय प्रशिक्षण/कार्यशाला के प्रकार	शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या	आयोग के प्रशिक्षण संस्थान/अन्य (कृपया उल्लेख करें)	लागत (रु.)	समय-सीमा (वर्ष वार)
1.					
2.					
3.					

18) विपणन संवर्धन सहायता

क्रं .	गतिविधि/इनपुट का नाम	विपणन नीति, औज़ार, घटक विशेषज्ञ आदि का विवरण	लागत (रु.)	समय सीमा (वर्ष-वार)
1.				
2.				
3.				

(प्रस्ताव की सिफारिश करते समय राज्य/मंडलीय निदेशक द्वारा क्रम संख्या 16 से 20 के तहत क्लस्टर इंटरवेंशन हेतु एक सांकेतिक अनुमान दिया जाए)

19) कार्यशील पूँजी :

क्रं.स.	अपेक्षित कार्यशील पूँजी	कार्यशील पूँजी की प्रकृति	आईसेक	कार्यशील पूँजी निर्धारण मानदंड	टिप्पणी

20) क्लस्टर परियोजना की अवधि हेतु क्लस्टर के उत्पादन एवं बिक्री का लक्ष्यांक (रु.लाख में)

क्रं .स.	वर्ष	उत्पादन (मात्रा)	मूल्य	बिक्री (मात्रा)	मूल्य
1	2020-2021				
2	2021-2022				
3	2022-2023				
4	2023-2024				
5	2024-2025				

21) क्लस्टर परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद कारीगरों के मजदूरी आय में वृद्धि का लक्ष्य (रु.लाख में):

क्रं .स.	वर्ष	प्रति कारीगर वर्तमान आय	वृद्धि %	राशि (रु.)
1	स्फूर्ति से पूर्व			
2	2020-2021			
3	2021-2022			
4	2022-2023			
5	2023-2024			
6	2024-2025			

22) विशेष प्रयोजन अभिकरण (एसपीबी) का गठन :

यह स्फूर्ति दिशानिर्देशों के 4.6 और 4.6.1 के अनुसार नियंत्रित होगा।

23) कार्यान्वयी एजेंसी का प्रस्ताव :

केवीई संस्था प्रबंधन समिति विचार हेतु स्फूर्ति प्रस्ताव को पृष्ठांकित करते हुए विशिष्ट संकल्प की प्रति संलग्न करेंगे।

(टेम्पलेट -I (ए) और I (बी) के तहत प्रस्ताव के विशिष्ट संकल्प की प्रति संलग्न करेंः)

24) कार्यान्वयी एजेंसी से शपथ पत्र :

आईए अपने लेटरहेड पर यह शपथपत्र देगी कि उसने किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार से इस क्लस्टर/गतिविधि के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। यदि बाद में कोई विचलन (डाईवर्जन) पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आईए की होगी।

25) टेम्पलेट – (ए) और I (बी) के तहत प्रदत विशेष जानकारी की गहन जांच :

ए. कारीगरों की मूल जानकारी :

(इसमें कारीगरों की आय, जीवनयापन, जैसे-दिनों की संख्या, प्रतिदिन कार्यकारी घंटों की संख्या आदि शामिल है)

बी. खादी ग्रमोद्योगी क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधि की परंपरा और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रासंगिकता :

सी. सीएफसी एवं अन्य इंटरवेंशन संबंधी जानकारी एवं उसकी अनुमानित लागत

डी. प्रस्तावित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क :

ई. एसपीवी के गठन संबंधी जानकारी :

एफ. क्लस्टर की विशिष्टता, जैसे-संभावित जिले/ महिला आधारित/परंपरागत गतिविधि/ बहु-उत्पाद, सामाजिक

श्रेणी-वार, एनईआर / पहाड़ी क्षेत्र / निर्यातोन्मुखी/ जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स आदि।

जी. परियोजना स्वीकृत होने के तुरंत बाद सीएफसी हेतु पर्याप्त एवं स्थायी भूमि की व्यवस्था और आईए के शेयर हेतु आईए की

वित्तीय क्षमता।

एच. जानकारी में आई कोई भी वास्तविक कमी/हास जिसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान ठीक /संशोधित किया जाना

आवश्यक है

26) राज्य/मंडलीय निदेशक स्तर पर प्रस्ताव का समग्र मूल्यांकन

(ऐसे मूल्यांकन में क्लस्टर की गहन जांच के सापेक्ष क्लस्टर, कार्यान्वयी एजेंसी, कारीगरों के जीवनयापन, गतिविधियों की वर्तमान स्थिति संबंधी एकत्रित वास्तविक जानकारी का उल्लेख करें। क्लस्टर में सहायक संस्था के शामिल करने की अनुशंसा भी शामिल होगा, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त संवीक्षा हेतु संबंधित जानकारी प्रदान करने में अलग से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।

अनुशंसित

राज्य/मंडलीय निदेशक के हस्ताक्षर

27) राज्य/मंडलीय निदेशक द्वारा अग्रेषित स्फूर्ति प्रस्ताव को आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर अनुशंसा करने के कारणों का उल्लेख करें

(ऐसी अनुशंसा में कारीगरों की संख्या, आईए की क्षमता/साख, उत्पादों की पहचान, क्लस्टर स्थान पर पर्याप्त कच्चा माल, दीर्घकालीन रोजगार के अवसर सृजन करने के अन्य सामाजिक आर्थिक लाभ के आधार पर क्लस्टर की क्षमता का उल्लेख करें)

अनुशंसित

आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुलग्नक -I

सूचीबद्ध तकनीकी अभिकरणों का संपर्क विवरण

(दिनांक 15.04.2020 तक)

क्र.स.	तकनीकी एजेंसी (टीए) का नाम	संपर्क का पता
1.	राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड़)	राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड़), ए-23, सेक्टर-62, इंस्टीचुसनल एरिया, फेज-II, नोयडा – 201301 (उ.प्र.) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री मुकेश गुप्ता , दूरभाष- 0120-4017000/4017004-05/4017017/4017021/ 4017024/ 4017039/ 4017043/ 4017086 ई-मेल: mkgupta@niesbud.com
2.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निमस्से)	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निमस्से), युसुफगुड़ा, हैदराबाद – 500045, तेलंगाना संपर्क व्यक्ति का नाम - श्री सूर्य प्रकाश गौड़, दूरभाष - 040-23633499/23608544/ 23608546/ ई-मेल: webmaster@nimsme.org ;
3.	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) बशिष्ठ चैरली, एन.एच -37 बाईपस, गेम विलेज के पास, लालमती, गुवाहाटी-781 029, असम, दूरभाष-0361- 2300840/2302646 ई-मेल : director@iie.gov.in
4.	भारतीय उद्यमित विकास संस्थान (ईडीआईआई)	भारतीय उद्यमित विकास संस्थान (ईडीआईआई), पोस्ट- भट , जिला-गांधीनगर , (वाया-अहमदाबाद एयरपोर्ट व इंदिरा ब्रिज), पिन -382 428, गुजरात संपर्क व्यक्ति का नाम - श्री राजेश गुप्ता, दूरभाष-079- 23969153/23969158/23969159/23969158/23969161 ई-मेल : info@ediindia.org ; director@ediindia.org
5.	जेवीयर प्रबंधन संस्थान (एक्सआईएमबी)	जेवीयर ग्रामीण प्रबंधन विद्यालय जेवियर यूनिवर्सिटी , भुवनेश्वर – 751013, ओडिशा ई-मेल : pkmishra@xsrn.edu.in संपर्क व्यक्ति का नाम -डॉ प्रदीप मिश्रा - 9437193088
6.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) पोस्ट बॉक्स न0-357, नेहरू नगर, भोपाल – 462 003, म.प्र. दूरभाष :+91-755-2775716, 2773799, 2766603, 2761731, 2775703 ई-मेल : director@iifm.ac.in

क्रं	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
7.	भारतीय शिल्प व डिजाईन संस्थान (आईआईसीडी)	भारतीय शिल्प व डिजाईन संस्थान (आईआईसीडी) झालना ग्राम, जे-8, झालना इन्स्टीच्यूनल एरिया , झालना डुंगरी, राजस्थान - 302004 दूरभाष : 91- 141-2701203/ 2701504/ 2700156 ई-मेल : info@iicd.ac.in
8.	भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम)	भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम) आईआईआरएम कैपस, टैगोर मार्ग, मानसरोवर, जयपुर – 302 020, राजस्थान, दूरभाष-91-141-2395402/ 9352166166/ 9887481395/ 91-141-2399071 ई-मेल : iirm@iirm.ac.in ; info@iirm.ac.in
9.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्लॉट, सी-24, जी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, सी बिंग, बांद्रा- कुला कम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051, महाराष्ट्र, दूरभाष-011-25745101-03 ई-मेल : nabcons@nabard.org
10.	कुमारपा राष्ट्रीय हाथकागज संस्थान	कुमारपा राष्ट्रीय हाथकागज संस्थान रोमसिंहपुर, शिकारपुर रोड, सांगनेर, जयपुर -303902, राजस्थान, दूरभाष : 0141-2730369 ई-मेल: knhpi.kvic@gov.in ; knhpijpr@gmail.com
11.	केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई)	केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 1153, गणेश किंड रोड, पुणे-411016, दूरभाष : 020- 25655351/ 25675865 ई-मेल : cbrtipune.kvic@gov.in ; cbrti.kvic@gmail.com
12.	लघु उद्योग उत्पाद संवर्धन संगठन (सिप्पो)	लघु उद्योग उत्पाद संवर्धन संगठन (सिप्पो) न0-52, टीबी रोड, पहली मंजिल, महबूबपलायम, मदुरै- 625016, तमिलनाडू, दूरभाष :- 0452-2602455 ई-मेल : mdusippo@gmail.com
13.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी संस्थान (एमगिरी)	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी संस्थान (एमगिरी) एम. जी रोड, मंगनवाड़ी, वर्धा – 442 001, महाराष्ट्र, दूरभाष- 07152-253512/13[O], 253513[direct] ई-मेल : director.mgiri@gmail.com
14.	आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विस लिमिटेड	आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विस लिमिटेड 50-ए, ग्रीम रोड, थाउजेंड लाईट वेस्ट, एगमोड, चेन्नई- 600006, तमिलनाडू दूरभाष : 044 4293 6800, ई-मेल: itcot@vsnl.com

क्रं. स.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
15.	टीएआरए, सोसाईटी फॉर टेक्नोजी एंड एक्शन फॉर रुल एडवांसमेंट	टीएआरए, सोसाईटी फॉर टेक्नोजी एंड एक्शन फॉर रुल एडवांसमेंट बी-32, तारा क्रिसेंट, कुतुब इंस्टीच्युसनल एरिया, उत्तरी दिल्ली -110016. संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री श्रस्टान्त पात्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष/ श्री अंकित पंत, वरिष्ठ प्रबंधक, दूरभाष-011- 26544200/ 26544235 ई-मेल : taratech@devalt.org
16.	एमएसएमई क्लस्टर हेतु फाउंडेशन	एमएसएमई क्लस्टर हेतु फाउंडेशन, यूएसओ हाउस, 2 फ्लोर, यूएसओ रोड, शहीद जीत सिंह मार्ग, 6, स्पेशल इंस्टीच्युसनल एरिया नई दिल्ली – 110067 संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री तमल सरकार दूरभाष-011- 40563323/ 40563324 ई-मेल : tamal@msmefoundation.org ask.sharma@msmefouondation.org
17.	मार्केट इनसाइट कंसल्टेट	मार्केट इनसाइट कंसल्टेट, बी-3, 2 फ्लोर, सेक्टर-2, मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर -15, नोयडा -201301,(उ.प्र) दूरभाष : 0120 432 2037 ई-मेल : sanjay@marketins.com
18.	नोएडा उत्पादकता परिषद	नोएडा उत्पादकता परिषद , 150, एलिस्टोनिया एस्टेट, सेक्टर सीएचआई -3, ग्रेटर नोएडा -201301, उ.प्र. संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री यशपाल खुब्बर, दूरभाष : 0120-2343402, (मो- 9911197030) Y.P. Khubbar (ई-मेल : noidap council@gmail.com ceo@noidaproductivitycouncil.org)
19.	केंद्रीय फूड प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई)	केंद्रीय फूड प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) चेलुवंबा मेनशन, वाल्मीकी रोड, रेलवे म्यूजियम के विपरीत, देवराज मोहल्ला Devaraja Mohalla, सीएफटीआरआई कैपस, कज्जिहुंडी मैसूर, कर्नाटक - 570 020, संपर्क व्यक्ति – निदेशक दूरभाष : 0821 251 7760, ई-मेल : director@cftri.res.in

क्रं .स.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
20.	केंद्रीय ग्लास व सेरामिक अनुसंधान संस्थान (सीजीसीआरआई)	केंद्रीय ग्लास व सेरामिक अनुसंधान संस्थान (सीजीसीआरआई) खुर्जा सेंटर, जी टी रोड, खुर्जा – 203131, उ.प्र. ई-मेल : <u>lksharma @cgcri.res.in</u> दरभाष - 5738 232501
21.	ग्रांट श्रोटन इंडिया एल एल पी	ग्रांट श्रोटन इंडिया एलएलपी , 21 फ्लोर, डीएलएफ स्कवायर, जकरानदा मार्ग, डीएलएफ फेज-II, गुडगांव – 122 002 (हरियाणा), संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री कुनाल सूद , दरभाष - 0124-4628000-8001 ई-मेल: <u>kunal.sood@in.gt.com</u> ; <u>padmanand.v@in.gt.com</u>
22.	विवेकानंद बायो-प्रौद्योगिकी संस्थान (वीआईबी),	विवेकानंद बायो तकनीकी संस्थान (वीआईबी) श्री रामकृष्ण आश्रम निमपीठ, पोस्ट- निमपीठ आश्रम - 743338, जिला- दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल (), ई-मेल : <u>vibsran@gmail.com</u> संपर्क व्यक्ति का नाम - डॉ बी. के. दत्ता, निदेशक दरभाष - 03218-22603/22601 (मो.- 9434078003 /7557854320)
23.	कोटेक्ट बेस,	कोटेक्ट बेस, 58/81, प्रिंस अनवर शाह रोड, लेक गार्डेन, कोलकाता– 700045 (प.ब.) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री सिद्धांजन रॉय चौधरी, महा प्रबंधक दरभाष - 033-40047483 (मो.- 9831382672) ई-मेल: <u>siddhanjan@banglanatak.com</u> ; <u>banglanatak@gmail.com</u>
24.	टाईम औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास संस्थान,	टाईम औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास संस्थान, सी एस.455, कार्यालय-403/404, 4 फ्लोर, 'मातोश्री प्लाजा', स्टेशन रोड, कोल्हापुर - 416001, महाराष्ट्र संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री राजेंद्र बेंद्रीकर शिंदे दरभाष - 0231-2522617 (मो- 9763704223) ई-मेल: <u>timesdi99@gmail.com</u> , <u>bendrikarshinde@yahoo.in</u>
25.	बैकुंठभाई मेहता विकेंद्रीकृत उद्योग अनुसंधान केंद्र (वीएमआरसीडीआई)	बैकुंठभाई मेहता विकेंद्रीकृत उद्योग अनुसंधान केंद्र (वीएमआरसीडीआई) अनुसंधान केंद्र, प्लॉट न0-107, सेक्टर-15, सकल भवन मार्ग, सीबी बेलापुर, पिन-400614, महाराष्ट्र, संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री ए.के.द्विवेदी, दरभाष - 0617-27575935, ई-मेल : <u>vmrc@rediffmail.com</u>

क्र.सं.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
26.	आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी,	आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट न0- 6512, अजवा निमेता रोड, रावल, वाघोड़िया, बडोदरा -391760, गुजरात दूरभाष :02668- 290588 Mob:9904409050, Email: ksmurthy@itm.edu
27.	केंद्रीय पामगुड एवं पाम उत्पाद संस्थान (सीपीपीआई)	केंद्रीय पामगुड एवं पाम उत्पाद संस्थान (सीपीपीआई) 44, कुमरप्पापुरम, माधवराम मिल्क कॉलोनी, माधवराम, चेन्ने - 600051, तमில்நாடு, दूरभाष 044-26441533, 044-25555402 ई-मेल : cппpichennai.kvic@gov.in
28.	अधिकार	अधिकार प्लॉट न0-77/180/970, सुबुधीपुर, टोमंडो, भुवनेश्वर, जिला – खोरधा - 752054 (ओडीशा) , संपर्क व्यक्ति का नाम – मो. एन. एन. अमीन, अध्यक्ष दूरभाष - 0674-2475173/2475949 ई-मेल : adhikarsociety@gmail.com
29.	अश्वमेध हर्बल अनुसंधान एवं विकास ट्रस्ट	अश्वमेध हर्बल अनुसंधान एवं विकास ट्रस्ट दुकान न0-29, गोकुल कॉम्प्लेक्स, गोकुल नगरी, कोपरगांव – 423601, महाराष्ट्र संपर्क व्यक्ति का नाम – श्रीमती छाया डी वाघचौर, अध्यक्ष मो- 9226752469 / 7588297357, दूर- 0423-223557 ई-मेल: ashwamedhinfo@gmail.com
30.	गायत्री महिला एवं बाल कल्याण तथा शिक्षा प्रसर समिति ,	गायत्री महिला एवं बाल कल्याण तथा शिक्षा प्रसार समिति गल्लमण्डी गेट, नया नगर रोड, मुरैना , जिला- मुरैना – 476001 (म.प्र.) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्रीमती प्रेमलता धनकर सचिव , मो.- 7828889758 ई-मेल : gmspsmp@gmail.com
31.	सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन डेवलपमेंट (एसआईआईडी)	सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन डेवलपमेंट (एसआईआईडी) 29/28-1-37, कोवेलामुदी वीडी, सूर्यराव पेठा, विजयवाडा – 520002 (अ.प्र.) संपर्क व्यक्ति का नाम – कार्तिक बोदु , अध्यक्ष मो.- 9502657628 ई-मेल : kartheek8892@gmail.com
32.	एवंजेलिकल सोसल एक्शन फोरम (ईएसएएफ),	एवंजेलिकल सोसल एक्शन फोरम (ईएसएएफ), ज्ञोनल ऑफिस, ईएसएएफ, नारायण निकेतन, पाकुर रोड, दुमका - 814101(झारखंड) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री अजित सेन, मो.- 8969687779, ई-मेल : ajithsen@esaf.in

क्र.सं.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
33.	आईडीईएमआई	आईडीईएमआई, चुना भट्टी , सायन, मुंबई – 400 022 (महाराष्ट्र) संपर्क व्यक्ति – श्री एस वी रसल , प्रबंध निदेशक दरभाष - 022-24050301-4 ई-मेल : idemi@vsnl.net ; info@idemi.org
34.	हैंडीक्राफ्ट विकास निगम परिषद,	हैंडीक्राफ्ट विकास निगम परिषद, वेस्ट ब्लॉक-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली -110066. संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री ए. सुब्रमण्यम, दूरभाष - 011-26174198/26174269/26163085 ई-मेल : cohands@rediffmail.com ; cohands83@gmail.com
35.	केंद्रीय फूटवेयर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई)	केंद्रीय फूटवेयर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई) (एमएसएमई- तकनीकी विकास केंद्र), न0.65/1, जीएसटी रोड , गुंडी, चेन्नई -600032 (तमिलनाडु) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री के. मुरली, निदेशक , मो.- 9226752469 / 7588297357, दूरभाष- 0423-223557 ई-मेल : cfti@vsnl.net दूरभाष : 044-22501529 / 044-22500876
36.	झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्राकचर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्राकचर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 फ्लोर, न्यू रियादा बिल्डिंग, नमकुम इंडस्ट्रियल एरिया, रांची, झारखंड संपर्क व्यक्ति का नाम -श्री जीशान कुमार, प्रबंध निदेशक दरभाष - 0651-6550137 ई-मेल : jiidcoltd@gmail.com
37.	एवीपी - लाईवलीहुड, मार्गदर्शक डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी	एवीपी -लाईवलीहुड, मार्गदर्शक डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी सूट -205, 2 फ्लोर, एच - 138, सेक्टर 63, नोएडा -201301 (उ.प्र.) ई-मेल : keertip@margdarshak.org.in
38.	भरतियार मक्कल नलवालु संगम,	भरतियार मक्कल नलवालु संगम, 42/78, टाउन रेलवे स्टेशन रोड, सलेम-636001 (तमिलनाडु) संपर्क व्यक्ति का नाम – सी. देविका , मो.- 9787088088 / 9790203030, दरभाष - 0427-6452002 ई-मेल : bharathingo@hotmail.com

क्रं .स.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
39	समाधान समिति,	समाधान समिति, समाधान टावर, 27/1/बी, गोखले मार्ग, लखनऊ -226001 (उ.प्र.), संपर्क व्यक्ति – सीएस एकता यस निगम, उपाध्यक्ष मो.- 8400999172 / 8400999166 ई-मेल : support@iid.org.in
40.	क्षेत्रीय उद्यमिता विकास केंद्र (आरसीईडी)	क्षेत्रीय उद्यमिता विकास केंद्र (आरसीईडी) एससीओ न0-315-16, II फ्लोर, सेक्टर -35-बी, चंडीगढ़ -160022 (पंजाब) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री परमजीत सिंह दरभाष - 0172-2601648/26112669 ई-मेल : rcedindia@gmail.com
41.	विदिशा सोसल वेलफेर ऑर्गेनाईजेशन,	विदिशा सोसल वेलफेर ऑर्गेनाईजेशन, रघु सदन, रामद्वारा विदिशा, जिला-विदिशा, पिन - 464001(म.प्र.), संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री देवेन्द्र रघुवंशी, मो- 7592405917/ 9826744879 / 9425148886 ई-मेल : ngo.vswa@gmail.com
42.	यू.पी.इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड,	यू.पी. इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड 4 मंजिल, श्री गणेश टावर, विभूतिखंड , गोमतीनगर, लखनऊ – 226010 (UP) संपर्क व्यक्ति का नाम -श्री प्रवीण सिंह, प्रबंध निदेशक दरभाष - 0522-2728644, Mob- 9454833333 ई-मेल : info@upico.org
43.	एनएनआईएमएस, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ,	एनएनआईएमएस, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्लॉट न0.2, सेक्टर -33, खारघर, नवी मुंबई – 410210 (महाराष्ट्र) संपर्क व्यक्ति का नाम –डॉ सी. एस. अधिकारी, दरभाष - 022-65659701/42355555 मो- 9822512701, 8369838043 ई-मेल : <u>meena.chintamaneni@nmims.edu</u> <u>navimumbai.info@nmims.edu</u> <u>chandansingh.adhikari@nmims.edu</u>
44.	उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडी)	उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडी) पैड़ी एवं फ्लावर मार्केट कॉम्प्लेक्स , मटूथावनी, मदुरै – 625007 (तमில்நாடு) संपर्क व्यक्ति का नाम – श्री आर. जयरमन दरभाष - 0452-2583562- 63 / 2583574 ई-मेल : <u>info@cedtn.org</u>

क्र.सं.	तकनीकी एजेंसी का नाम	संपर्क का पता
45.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी),	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), एनआईएफटी कैंपस, प्लॉट-3बी, ब्लॉक-एलए, 16 नंबर वाटर टैंक के पास, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700098 दूरभाष-Phone: 033 2335 8872 ई-मेल : <u>project.kolkata@nift.ac.in;</u> <u>director.kolkata@nift.ac.in</u>
46	सेट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता	सेट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता, बोनहुगली इंडस्ट्रियल एरिया, कोलकाता -700108, पश्चिम बंगाल दूरभाष- 033-2577-6350/0576, 033-2578-8769, फैक्स- 033-25772494, ई-मेल- <u>cttc-msme @</u> <u>gov. in, cttc@cal.vsnl.net.in</u>
47	सीएसआईआर- हिमालय बायो संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	सीएसआईआर- हिमालय बायो संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स न0-6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश-176061 दूरभाष-91-1894-230742-43, 233338-39 फैक्स-91-1894-230433 ई-मेल- <u>director@ihbt.res.in</u>

स्फूर्ति योजना प्रस्ताव हेतु जांच सूची

I	आईए की प्रोफाईल	यदि हाँ, पृष्ठ संख्या
1	क्या आईए सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है	
2	क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रति के साथ स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु नियमावली, प्रस्ताव संलग्न है	
3	क्या आईए खादी और ग्रामोद्योग आयोग/ बोर्ड से संबद्ध है	
4	क्या प्रबंधन समिति का विवरण दिया गया है	
II	क्लस्टर का भौगोलिक क्षेत्र	
5	क्या कार्य का भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है	
6	शामिल गाँव की संख्या	
7	शामिल ब्लॉक की संख्या	
8	क्या ब्लॉक/गाँव उसी जिले अथवा पास के जिले में शामिल है	
9	क्या सीडीए जुड़ा है और आईए व सीडीए में करार हुआ है अथवा नहीं।	
10	क्या आईए से यह शपथपत्र लिया गया है कि आईए ने किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसी से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है	
11	हार्ड इंटरवेंशन के 10 प्रतिशत * स्वयं के अंशदान हेतु सहमत * 5% एनईआर, जम्मा व कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र हेतु	
12	आईए की वर्तमान गतिविधि	
13	वर्ष 20---20—हेतु आईए का टर्न ओवर	
III	भूमि	
14	क्या स्वयं की भूमि अथवा पट्टे पर है और आईए/एसपीवी के नाम पर पट्टे की अवधि	
15	क्या चिह्नित भूमि सीएफसी निर्माण अर्थात् राजस्व प्राधिकरण से पंजीयन, न्यूनतम 4000 वर्ग फीट गैर-कृषि भूमि, किसी भी अतिक्रमण से मुक्त आदि की दृष्टि से उपयुक्त है और वहाँ सड़क की पहुँच, विद्युत, जल कनेक्शन आदि की सुविधा है	
16	यदि भूमि पट्टे पर है, तो पंजीकृत पट्टे का करार पट्टे के किराये के साथ दिया गया है और क्या वह न्यूनतम 15 वर्ष के लिए है	
IV	कारीगर	
17	क्या निर्धारित प्रपत्र में कारीगर की सूची प्रदान की गई है	
18	क्या सभी कारीगरों के आधार/वोटर आईडी संख्या/बैंक खाता दिया गया है	
19	क्या ग्रामीण-वार कारीगर अर्थात् एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक व महिला का विवरण दिया गया है	
20	कारीगरों के वर्तमान व्यवसाय एवं आय की जानकारी दी गई है	
21	क्या वर्तमान कारीगरों के बैंक खाते का विवरण प्रदान किया गया है (नये कारीगरों के बैंक खाते मंजूरी के बाद ही खोले जा सकते हैं)	

V	अनुमोदन	
22	क्या आंचलिक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अनुमोदन लिया गया है	
23	क्या एसपीवी का गठन अथवा पंजीकृत है	
24	क्या एसपीवी के संचालन समिति /प्रबंधन समिति में 33% कारीगर शामिल हैं (क्लस्टर के सभी कारीगर एसपीवी के सदस्य होंगे)	
25	क्या आईए एवं एसपीवी के सदस्य अलग अलग हैं अथवा एक समान हैं	
VI	बैंक से संबंधित	
26	क्या स्फूर्ति क्लस्टर हेतु समर्पित बैंक खाता खोला गया है	
27	बैंक के साथ एमओयू हुआ है अथवा नहीं	
VII	डीपीआर/क्लस्टर से संबंधित	
28	क्या सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसी द्वारा डीपीआर तैयार किया गया है	
29	क्या सभी 17 सांकेतिक मुख्य अनुभाग/अध्याय को क्रमशः शामिल किया गया है	
30	क्या सीएफसी निर्माण योजना को शामिल किया गया है	
31	क्या नमूना, क्षमता सहित नई/प्रतिस्थापित मशीनरी/उपकरण का विवरण, जीएसटी सहित अनुमानित लागत प्रदान की गई है	
32	क्या कारीगरों हेतु उपकरण के वितरण को शामिल किया गया है	
33	क्या उत्पाद के डिजाईन इंटरवेंशन की योजना बनाई गई है	
34	क्या कच्चे माल के बैंक घटक को प्रस्तावित किया है अथवा नहीं	
35	क्या क्षमता निर्माण (सॉफ्ट) गतिविधियों की योजना बनाई गई है	
36	परियोजना लागत एवं वित्त स्रोत दिया गया है	
37	क्या वर्तमान उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार का पैमाना दिया गया है	
38	क्या उत्पादन व बिक्री की परियोजना प्रदान की गई है	
39	क्या उत्पाद के बाजार का मूल्यांकन व मांग को दिया गया है अथवा नहीं	
40	क्या विपणन रणनीति दी गई है	
41	क्या व्यापार योजना का विवरण दिया गया है	
42	क्या कार्यान्वयन की समय-सीमा प्रदान की गई है	
43	क्या विस्तृत स्थायी योजना प्रदान की गई है	
44	स्फूर्ति इंटरवेंशन के प्रभाव	
45	क्या पूर्व के एवं बाद के इंटरवेंशन के हेतु मजदूरी/आय (प्रति माह/प्रति कारीगर) संबंधी विवरण प्रदान किया गया है	

डीपीआर में सांकेतिक प्रमुख खंड/अध्याय निम्नानुसार है :


1. क्लस्टर प्रोफाईल
2. क्लस्टर वैल्यू चैन मैपिंग
3. बाजार मूल्यांकन और मांग विश्लेषण
4. आवश्यक अंतराल विश्लेषण
5. कार्यान्वयी एजेंसी की प्रोफाईल
6. परियोजना अवधारणा और कार्यनीति फ्रेमवर्क


आग

7. परियोजना इंटरवेन्शन (कोर स्फूर्ति)
8. सॉफ्ट इंटरवेन्शन
9. हार्ड इंटरवेन्शन
10. परियोजना लागत और वित्त के साधन (कोर स्फूर्ति)
11. शुरुआती कन्वर्जेस की योजना
12. परियोजना लागत एवं वित्त के साधन बढ़ाना
13. परियोजना की समय सीमा
14. विस्तृत व्यवसाय योजना
15. प्रस्तावित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क
16. स्थायी योजना
17. अपेक्षित प्रभाव

आग-॥

स्फूर्ति योजना के कार्यान्वयन से जुड़े चरण





गतिविधि पूरा करने की समय सीमा (सांकेतिक)

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	अवधि
1	क्लस्टर की पहचान	निरंतर प्रक्रिया
2	आईए द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना	45 दिन
2	एनए द्वारा आवेदन की संवीक्षा	5 दिन
3	टीए द्वारा डीपीआर तैयार करना	35 दिन
4	एनए द्वारा डीपीआर हेतु प्रशासनिक अनुमोदन	4 दिन
5	एसएससी की अनुशंसा-मंत्रालय स्तर	7 दिन
6	मंत्रालय द्वारा निधि जारी करना	15 दिन
7	सीएफसी को पूरा करना – ए) स्थानीय प्रशासन से नियामक अनुमोदन प्राप्त करना बी) निर्माण कार्य हेतु निविदा देना सी) टेंडर को अंतिम रूप देना डी) निर्माण कार्य की शुरुआत ई) सीएफसी पूरा करना एफ) मशीनरी/उपकरण की खरीद (सीएफसी के निर्माण कार्य के साथ ही उल्लिखित अवधि में पूरा किया जाए)	30 दिन (1 माह) 21 दिन 3 दिन 5 दिन 150 दिन (5 माह) ----
8	सीएफसी का परिचालन (ट्रायल रन)	10 दिन
	कुल	330 दिन (11 माह)